

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017<sup>1</sup>**

**[16-09-2022 तक संशोधित]**

आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी010.- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 59, धारा 196 और धारा 240 के साथ पठित धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह बोर्ड निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात् -

**अध्याय I**

**प्रारंभिक**

**1. लघु शीर्ष और प्रारंभ:**

(1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये विनियमन 01 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये विनियमन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के भाग-II के अध्याय-V के अधीन कारपोरेट व्यक्तियों की स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के लिए लागू होंगे।

**2. परिभाषाएं.**

(1) इन विनियमनों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “संहिता” से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 अभिप्रेत है;

---

<sup>1</sup> अधिसूचना सं.आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी010, दिनांकित 31-03-2017, भारत का राजपत्र ,असाधारण, भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित।

(ख) “अंशदाता” से कंपनी का एक सदस्य, सीमित देयता भागीदारी का भागीदार, या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो कारपोरेट व्यक्ति के समापन की स्थिति में कारपोरेट व्यक्ति की आस्तियों के प्रति अंशदान करने का दायी है;

<sup>2</sup>[(खक) कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाता” से बोर्ड द्वारा विनियम 39 के अधीन रखा गया और प्रचालित कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाता अभिप्रेत है]

(ग) “समापन प्रारंभ की तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है जब धारा 59(5) और विनियम <sup>3</sup>[3(3)] के अनुसार स्वैच्छिक समापन की कार्यवाही प्रारंभ होगी;

(घ) “रजिस्ट्रार” का वह आशय होगा जो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(75) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2(1)(घ) में दिया गया है या इसका आशय इस अधिनियम का प्रशासन करने वाला प्राधिकारी होगा जिसके अधीन कारपोरेट व्यक्ति का निगमन किया गया हो, जो भी लागू हो;

(ङ) “धारा” से इस संहिता की धारा से अभिप्रेत है; और

(च) “पक्षकार” से ऐसे पक्षकार अभिप्रेत हैं जो धारा 53 के अधीन समापन आस्तियों की बिक्री से होने वाली आय के हकदार हैं।

(2) इन विनियमों में समापन शब्द का आशय स्वैच्छिक समापन से है।

(3) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इस संहिता में परिभाषित किया गया है, के वही आशय होंगे जो उन्हें इस संहिता में दिया गया है।

## **अध्याय-II**

### **समापन का प्रारंभ**

#### **3. समापन प्रारंभ.**

---

<sup>2</sup> अधिसूचना सं.आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी054, दिनांकित 15-01-2020 द्वारा अंतस्थापित ।

<sup>3</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(1) धारा 59(2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी कारपोरेट व्यक्ति की समापन कार्यवाही में निम्नलिखित निबंधन पूरे करने होंगे, अर्थात्:-

(क) इनके बहुमत से एक घोषणा-पत्र

(i) यदि कारपोरेट व्यक्ति एक सीमित देयता भागीदारी है, तो नामनिर्दिष्ट भागीदार,

(ii) अन्य कारपोरेट व्यक्तियों के मामले में शासी परिषद् में शामिल व्यक्ति,

जैसा भी मामला हो, जिसे यह कथन करते हुए एक शपथनामा द्वारा सत्यापित किया जाए, कि-

(i) उन्होंने कारपोरेट व्यक्ति के मामलों की पूरी जांच कर ली है और यह मत बनाया है कि कारपोरेट व्यक्ति पर कोई ऋण नहीं है या वह समापन में बिक्री की जाने वाली आस्तियों की आय से पूरा ऋण चुका सकेगा; और

(ii) वह कारपोरेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देने के आशय से समापन नहीं कर रहा है;

(ख) उपखंड (क) के अधीन घोषणा-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) कारपोरेट व्यक्ति के पूर्ववर्ती दो वर्षों या उसके निगमन से उस समय तक की अवधि, इनमें से जो बाद में हो, के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय कथन और व्यापार परिचालन के रिकार्ड;

(ii) कारपोरेट व्यक्ति की आस्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट, यदि किसी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई हो;

(ग) उप-खंड (क) के अधीन घोषणा-पत्र के चार सप्ताह के अंदर किया जाएगा-

- (i) कारपोरेट व्यक्ति के भागीदारों या अंशदाताओं, जैसा भी मामला हो, के विशेष बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित किया जाना जिसमें कारपोरेट व्यक्ति के लिए समापन किया जाना और परिसमापक के रूप में किसी दिवाला व्यवसायिक को नियुक्त करना अपेक्षित होगा; या
- (ii) कारपोरेट व्यक्ति के भागीदारों या अंशदाताओं, जैसा भी मामला हो, का एक संकल्प जिसमें उसके कानूनी दस्तावेजों द्वारा निर्धारित कार्यकाल, यदि हो, तो उसके समाप्त हो जाने पर या ऐसी कोई दशा होने पर जिसके संबंध में कानूनी दस्तावेज में प्रावधान हो कि कारपोरेट व्यक्ति का विघटन हो जाएगा, जैसा भी मामला हो, कारपोरेट व्यक्ति के लिए समापन किया जाना और परिसमापक के रूप में दिवाला व्यावसायिक नियुक्त करना अपेक्षित होगा:

परंतु कि यदि कारपोरेट व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का कोई ऋण चुकाना है, तो कारपोरेट व्यक्ति के ऋण के मूल्य में दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदार उप-खंड (ग) के अधीन संकल्प पारित होने के सात दिन के अंदर इस संकल्प को अनुमोदित करेंगे।

(2) कारपोरेट व्यक्ति उक्त संकल्प के सात दिन के अंदर कारपोरेट व्यक्ति के समापन के लिए उप-विनियम (1) के अधीन संकल्प या लेनदारों द्वारा बाद में दिए गए अनुमोदन जैसा भी मामला हो, के संबंध में रजिस्ट्रार और बोर्ड को सूचित करेगा।

(3) उप-विनियम (2) के अंतर्गत लेनदारों के अनुमोदन के अधीन कारपोरेट व्यक्ति के संबंध में समापन (प्रक्रिया) उप-विनियम (1) के उप-खंड (ग) के अधीन संकल्प पारित करने की तारीख से आरंभ कर दी गई मानी जाएगी:

स्पष्टीकरण: इस उप-विनियमन (1) से (3) के प्रयोजनों के लिए कारपोरेट व्यक्ति का आशय कंपनी को छोड़कर अन्य कारपोरेट व्यक्ति से है।

4. उप-विनियमन 1(क) अथवा 59(3) के अधीन की गई घोषणा में कारपोरेट व्यक्ति उस तारीख के सभी ऋणों का विवरण देते हुए यह कहेगा कि वह समापन में 7बेची जा रही आस्तियों की प्राप्तियों से उसके सभी ऋणों के पूर्ण भुगतान में समर्थ होगा, उस तारीख को कारपोरेट व्यक्ति के सभी ऋणों की पहचान करेगा।

<sup>4</sup>[5. उप-विनियम (1)(क) के अधीन या धारा 59(3)(क) के अधीन घोषणा में यह उपबंध होगा कि कारपोरेट व्यक्ति ने उसके विघटन के पश्चात् उसके अभिलेखों को परिरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की है ।]

#### **4. समापन का प्रभाव.**

(1) कारपोरेट व्यक्ति समापन प्रारंभ होने की तारीख से अपने व्यापार के लाभकारी समापन के लिए अपेक्षित कार्यकलापों को छोड़कर अपना अन्य व्यापार परिचालन बंद कर देगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के होते हुए भी, कारपोरेट व्यक्ति धारा 59(8) के अधीन अपना विघटन होने तक बना रहेगा।

### **अध्याय-III**

#### **परिसमापक की नियुक्ति और पारिश्रमिक**

#### **5. <sup>5</sup>[परिसमापक की नियुक्ति.**

(1) कारपोरेट व्यक्ति, विनियम 6 के अधीन रहते हुए, किसी दिवाला व्यावसायिक को परिसमापक के रूप में नियुक्त करेगा और जहां कहीं भी अपेक्षित हो, यथास्थिति, धारा 59

---

<sup>4</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.095, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>5</sup> अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.063, दिनांकित 05-08-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

की उपधारा (3) के खंड (ग) या विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के अधीन पारित संकल्प द्वारा किसी अन्य दिवाला व्यावसायिक को परिसमापक के रूप में नियुक्त करके उसे प्रतिस्थापित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे संकल्प में परिसमापक की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत उसे संदेय पारिश्रमिक भी हैं, अंतर्विष्ट होंगे।

(2) दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक के रूप में अपनी नियुक्ति के <sup>6</sup>[सात] दिन के भीतर बोर्ड को ऐसी नियुक्ति के बारे में सूचित करेगा।”]

**6. परिसमापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता.**(1) कोई दिवाला व्यावसायिक, परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जबकि वह और जिस दिवाला व्यावसायिक संस्था का वह भागीदार या निदेशक है, उस संस्था का प्रत्येक भागीदार या निदेशक कारपोरेट व्यक्ति से स्वतंत्र हो:

स्पष्टीकरण: किसी व्यक्ति को कारपोरेट व्यक्ति से स्वतंत्र माना जाएगा यदि वह -

(क) यदि कारपोरेट व्यक्ति एक कंपनी है तो उस स्थिति में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 149 के अधीन कारपोरेट व्यक्ति के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो;

(ख) कारपोरेट व्यक्ति का संबंधित पक्ष न हो; या

(ग) पिछले तीन वर्षों में किसी समय कर्मचारी या मालिक या भागीदार न रहा हो -

(i) कारपोरेट व्यक्ति के लेखापरीक्षकों या <sup>7</sup>[सचिवीय लेखापरीक्षकों] या लागत लेखापरीक्षकों की किसी फर्म का; या

---

<sup>6</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>7</sup> अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.039, दिनांकित 15-01-2019 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) ऐसी किसी कानूनी या परामर्शदाता फर्म का, जिसमें उस फर्म के सकल आवर्त में दस प्रतिशत या अधिक अंशदान करने वाले कारपोरेट व्यक्ति के साथ कोई संव्यवहार हो या रहा हो।

(2) कोई दिवाला व्यावसायिक परिसमापक के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा यदि उसे या उस दिवाला व्यावसायिक संस्था, जिसका वह भागीदार या निदेशक है, को इस बोर्ड द्वारा निरोधक आदेश दिया गया हो।

(3) परिसमापक संबंधित कारपोरेट व्यक्ति या उसके किसी पक्षकार के साथ कोई वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध होने, को पता चलते ही, उसका प्रकटीकरण बोर्ड और रजिस्ट्रार को करेगा।

(4) कोई दिवाला व्यावसायिक, यदि जिस दिवाला व्यावसायिक संस्था में वह निदेशक या भागीदार है या उस दिवाला व्यावसायिक संस्था का कोई अन्य भागीदार या निदेशक उसी समापन में किसी अन्य पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह परिसमापक के रूप में आगे कार्य नहीं करेगा।

## **7. परिसमापक का पारिश्रमिक.**

परिसमापक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक समापन लागत में गिना जाएगा।

### **अध्याय-IV**

#### **परिसमापक के अधिकार और कार्य**

## **8. रिपोर्टिंग.**

(1) परिसमापक, इन विनियमों में विहित रीति में, निम्नलिखित रिपोर्टें तैयार और प्रस्तुत करेगा-

- (क) प्रारंभिक रिपोर्ट;
- (ख) वार्षिक स्थिति रिपोर्ट;
- (ग) पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श के कार्यवृत्त, और
- (घ) अंतिम रिपोर्ट।

(2) इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन परिसमापक निम्नलिखित प्राप्त होने पर उप-विनियमन (1) में उल्लिखित रिपोर्टें और कार्यवृत्त इलेक्ट्रॉनिक या लिखित रूप में किसी पक्षकार को उपलब्ध कराएगा-

- (क) लिखित में आवेदन;
- (ख) ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध कराने की लागत; और
- (ग) पक्षकार से एक शपथ-पत्र कि वह उस रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखेगा और उसका प्रयोग स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या हानि पहुंचाने के लिए नहीं करेगा।

## 9. प्रारंभिक रिपोर्ट.

(1) परिसमापक समापन प्रारंभ तारीख से पैंतालीस दिन के अंदर कारपोरेट व्यक्ति को एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे:-

- (क) कारपोरेट व्यक्ति की पूंजीगत संरचना;
- (ख) समापन प्रारंभ की तारीख को कारपोरेट व्यक्ति की लेखारजिस्टर के आधार पर उसकी आस्तियों और देयताओं के आकलन:



परंतु कि यदि परिसमापक को लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से यह विश्वास हो कि कारपोरेट व्यक्ति की लेखा रजिस्टर विश्वसनीय नहीं है, तो वह उसके पास उपलब्ध विश्वसनीय रिकार्डों और आंकड़ों के आधार पर ऐसे आकलन देगा;

- (ग) क्या वह कारपोरेट व्यक्ति या उसके व्यापार के संचालन के संवर्द्धन, गठन या असफलता से संबंधित किसी अन्य मामले में आगे कोई जांच करना चाहता है; और
- (घ) समापन करने के लिए प्रस्तावित कार्य-योजना जिसमें यह कार्य करने की समय-सीमा और अनुमानित समापन लागत भी शामिल की जाए।

#### 10. रजिस्टर और लेखा रजिस्टर.

(1) यदि समापन प्रारंभ की तारीख को कारपोरेट व्यक्ति की लेखा रजिस्टर पूरी नहीं है, तो परिसमापक यथासंभव शीघ्रता से उसे पूरा करने का अध्ययन करेगा।

(2) परिसमापक <sup>8</sup>[कारपोरेट व्यक्ति] के समापन के संबंध में निम्नलिखित रजिस्टर और लेखा, जो भी लागू हो, रखेगा:-

- (क) नगदी रजिस्टर;
- (ख) लेखा रजिस्टर;
- (ग) बैंक रजिस्टर;
- (घ) अचल आस्तियों और सामान का रजिस्टर;
- (ङ) प्रतिभूति और निवेश रजिस्टर;

---

<sup>8</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (च) लेखा ऋणों और बकाया ऋणों का रजिस्टर;
- (छ) किराएदार रजिस्टर;
- (ज) सूट रजिस्टर;
- (झ) डिक्री रजिस्टर;
- (ञ) दावों और लाभांश का रजिस्टर;
- (ट) अंशदाताओं बही;
- (ठ) वितरण रजिस्टर;
- (ड) फीस रजिस्टर;
- (ढ) उचिन्त रजिस्टर;
- (ण) दस्तावेज रजिस्टर;
- (त) बही रजिस्टर;
- (थ) <sup>9</sup>[अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों का रजिस्टर; और]
- (द) <sup>10</sup>[कारपोरेट व्यक्ति] के संबंध में उसके द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों के लिए आवश्यक अन्य कोई रजिस्टर या बही।

(3) उप-विनियमन (2) के अधीन रजिस्टर और खाते अनुसूची-II में निर्दिष्ट प्ररूपों में ऐसे परिवर्तनों के साथ रखे जाएंगे, जैसा कि परिसमापक समापन के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

---

<sup>9</sup> अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.054, दिनांकित 15-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>10</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) परिसमापक उसके द्वारा किए गए सभी भुगतान और किए गए खर्च की रसीदें रखेगा।

#### **11. व्यावसायिक की नियुक्ति.**

(1) परिसमापक अपने कर्तव्यों, दायित्वों और कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक उचित पारिश्रमिक के साथ व्यावसायिक नियुक्त कर सकता है और यह पारिश्रमिक समापन लागत का एक भाग होगा।

(2) परिसमापक उप-विनियमन (1) के अधीन किसी ऐसे व्यावसायिक को नियुक्त नहीं करेगा जो उसका संबंधी है, कारपोरेट व्यक्ति का संबंधित पक्ष है या समापन प्रारंभ होने की तारीख से पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय पर कारपोरेट व्यक्ति का लेखापरीक्षक रहा है।

(3) उप-विनियमन (1) के अधीन नियुक्त या नियुक्ति के लिए प्रस्तावित कोई व्यावसायिक किसी पक्षकार या कारपोरेट व्यक्ति के साथ कोई आर्थिक या व्यक्तिगत संबंध होने की जानकारी मिलते ही उसका प्रकटीकरण परिसमापक को करेगा।

#### **12. पक्षकारों के साथ परामर्श.**

(1) धारा 35(2) के अधीन जिन पक्षकारों का परामर्श लिया जाए, वे कारपोरेट व्यक्ति के समापन को पूरा करने के लिए परिसमापक को सभी सहायता और सहयोग देंगे।

(2) परिसमापक इस विनियमन के अधीन पक्षकारों के साथ किए गए किसी परामर्श के विवरण रखेगा।

#### **13. अतिशय ऋण संव्यवहार.**

किसी संव्यवहार को धारा 50(2) के अधीन अतिशय ऋण संव्यवहार माना जाएगा जबकि शर्तों में-

(क) कारपोरेट व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण के संबंध में अत्यधिक भुगतान करना अपेक्षित हो; या

(ख) संविदाओं से संबंधित कानून के सिद्धांतों के अधीन नितांत अनुचित हो।

#### **14. परिसमापक द्वारा समापन की सार्वजनिक घोषणा.**

(1) परिसमापक अपनी नियुक्ति से पांच दिन के अंदर इन विनियमनों की अनुसूची-1 के प्ररूप क में सार्वजनिक घोषणा करेगा।

(2) सार्वजनिक घोषणा में -

(क) पक्षकारों से समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा; और

(ख) दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख जो कि समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन होगी।

(3) यह घोषणा प्रकाशित की जाएगी -

(क) कारपोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय, यदि हो, के क्षेत्र में तथा ऐसे किसी अन्य स्थान पर, जहां परिसमापक के विचार में कारपोरेट व्यक्ति अपना वास्तविक व्यापारिक संव्यवहार करता है, व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्र में;

(ख) कारपोरेट व्यक्ति की वेबसाइट, यदि हो, तो उस पर; और

(ग) बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट, यदि हो, तो उस पर।

#### **अध्याय-V**

## दावे

### **15. दावे का साक्ष्य.**

कोई व्यक्ति, जो पक्षकार होने का दावा करता है, उसे समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख उसको देय ऋण या देय बकाया राशि, जिसमें ब्याज यदि कोई है, भी शामिल है, के दावों को प्रमाणित करेगा।

### **16. परिचालन लेनदारों द्वारा किए गए दावे.**

(1) श्रमिक या कर्मचारी के अलावा कारपोरेट व्यक्ति का परिचालन लेनदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति अपना दावे का प्रमाण परिसमापक को अनुसूची-1 के प्ररूप में व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावों का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(2) इस विनियमन के अधीन किसी परिचालन लेनदार को देय ऋण के आस्ति को निम्नलिखित के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है -

(क) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड; या

(ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो ऋण को पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं जिनमें निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज शामिल है -

(i) कारपोरेट व्यक्ति को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए संविदा जिसके समर्थन में कारपोरेट व्यक्ति को आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की मांग का बिल लगाया जाए;

(ii) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने किसी ऋण के गैर-भुगतान, यदि हो, के परिणामस्वरूप निर्णय दिया हो; और

(iii) व्यक्ति के वित्तीय लेखे।

## 17. वित्तीय लेनदारों द्वारा किए गए दावे.

(1) कोई व्यक्ति जो कारपोरेट व्यक्ति का वित्तीय लेनदार होने का दावा करता है, अपने दावे का प्रमाण अनुसूची-1 के प्ररूप ग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परिसमापक को प्रस्तुत करेगा।

(2) वित्तीय लेनदार को देय ऋण के अस्तित्व को निम्नलिखित के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है -

(क) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड; या

(ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, जो पर्याप्त रूप से ऋण सत्यापित करें जिनमें निम्नलिखित सभी या कोई एक शामिल है-

(i) ऋण के साक्ष्य के रूप में वित्तीय संविदा जिसके समर्थन में वित्तीय विवरण लगाए जाएं;

(ii) यह सत्यापित करने वाला रिकार्ड कि किसी सुविधा के अधीन कारपोरेट व्यक्ति को वित्तीय लेनदार द्वारा वचनबद्ध की गई राशि कारपोरेट व्यक्ति द्वारा आहरित की गई है;

(iii) वित्तीय विवरण जिसमें दर्शाया गया हो कि ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है; और

(iv) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने ऋण, यदि हो, तो उसका भुगतान न करने पर कोई निर्णय दिया हो।

## 18. श्रमिकों और कर्मचारियों के दावे.

(1) कोई व्यक्ति जो कारपोरेट व्यक्ति का श्रमिक या कर्मचारी होने का दावा करता है, अनुसूची-1 के प्ररूप घ में दावे का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परिसमापक को प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कारपोरेट व्यक्ति द्वारा अनेक श्रमिकों या कर्मचारियों को राशि देय हो तो ऐसी सभी बकाया राशि के लिए एक प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुसूची-1 के प्ररूप ड. में उनकी ओर से दावे का एक प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।

(3) श्रमिकों और कर्मचारियों को देय राशि का प्रमाण उनके द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से निम्नलिखित के आधार पर दिया जा सकता है -

(क) इंफोरमेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड; या

(ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो पर्याप्त रूप से देय राशि सत्यापित करते हैं जिनमें निम्नलिखित सभी या कोई एक शामिल है-

(i) जिस अवधि के लिए वह श्रमिक या कर्मचारी देय राशि का दावा कर रहा है उस अवधि के लिए रोजगार का प्रमाण जैसे रोजगार की संविदा;

(ii) अदत्त राशि के भुगतान की मांग करने वाला नोटिस और गैर-भुगतान के अन्य दस्तावेज या अन्य प्रमाण; और

(iii) किसी न्यायालय या अधिकरण का आदेश जिसने देय राशि के गैर-भुगतान पर निर्णय दिया हो।

(4) यदि श्रमिक या कर्मचारी ने दावा न किया हो तो परिसमापक कारपोरेट व्यक्ति की रजिस्टर खाते के आधार पर किसी श्रमिक या कर्मचारी के दावे स्वीकार करेगा।

## 19. अन्य पक्षकारों के दावे.-

(1) कोई व्यक्ति जो विनियमन 16, 17 और 18 के अधीन आने वाले पक्षकारों को छोड़कर अन्य पक्षकार होने का दावा करता है तो वह अनुसूची-I के प्ररूप च में अपने दावे का प्रमाण परिसमापक को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(2) पक्षकार के दावे को निम्नलिखित के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है -

(क) इंफोरमेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड; या

(ख) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो पर्याप्त रूप से दावे को सत्यापित करते हैं जिनमें निम्नलिखित सभी या कोई एक शामिल है:

(i) अमुक्त राशि की मांग करने का पत्र (नोटिस) या दावेदार की बैंक स्टेटमेंट जिसमें ज्ञात होता हो कि दावे का भुगतान नहीं किया गया है तथा एक शपथ-पत्र कि दस्तावेजी साक्ष्य और बैंक स्टेटमेंट सही, वैध और वास्तविक हैं;

(ii) लेनदार की शेयरधारिता का दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य; और

(iii) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का आदेश जिसने दावे के गैर-भुगतान, यदि कोई हो, पर निर्णय दिया हो।

## **20. प्रतिभूति हित का प्रमाण.**

किसी प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूति हित का दावा निम्नलिखित के आधार पर किया जा सकता है -

(क) इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध रिकार्ड; अथवा



- (ख) कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रभार पंजीकरण का प्रमाण-पत्र;
- (ग) भारतीय प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री में प्रभार रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य; या
- (घ) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो पर्याप्त रूप से प्रतिभूति हित सत्यापित करते हों।

## **21. विनियम बिल और वचन-पत्र प्रस्तुत करना.**

यदि कोई व्यक्ति किसी विनियमन बिल, प्रतिज्ञा-पत्र या अन्य पराक्रम्य लिखत या इसी प्रकार की किसी प्रतिभूति के संबंध में ऋण का सत्यापित करना चाहता है जिसके लिए कारपोरेट व्यक्ति उत्तरदायी है, तो विनियमन बिल, पत्र, लिखत या प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, को दावा की स्वीकृति से पहले परिसमापक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

## **23. दावों का सत्यापन.**

परिसमापक किसी दावेदार से ऐसे अन्य साक्ष्य या स्पष्टीकरण मांग सकता है जो वह पूरे या आंशिक दावे को सत्यापित करने के लिए उचित समझे।

## **23. प्रमाण की लागत.**

- (1) दावेदार अपने दावे को प्रमाणित करने की लागत वहन करेगा।
- (2) परिसमापक द्वारा किसी दावे के सत्यापन और निर्धारण के लिए खर्च की गई लागत समापन लागत का एक भाग होगी:

परंतु कि यदि कोई दावा या किसी दावे का कोई भाग मिथ्या पाया जाता है, तो परिसमापक दावे के सत्यापन और निर्धारण के लिए खर्च की गई लागत दावेदार से वसूल करने को कहेगा और दावेदार के ब्यौरे बोर्ड को देगा।

## **24. दावे की मात्रा का निर्धारण.**

यदि किसी आकस्मिक या अन्य कारण से दावेदार द्वारा दावा की गई राशि स्पष्ट नहीं है तो दावेदार तथा कारपोरेट व्यक्ति के साथ परामर्श करके तथा उपलब्ध सूचना के आधार पर परिसमापक दावे की राशि का सर्वोत्तम आकलन करेगा।

## **25. विदेशी मुद्रा में ऋण.**

विदेशी मुद्रा में आकलित दावों को समापन प्रारंभ की तारीख को अधिकारिक विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण: “आधिकारिक विनिमय दर” भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित संदर्भ दर या ऐसी संदर्भ दरों पर आकलित कोई दर है।

## **26. आवधिक भुगतान.**

किराया, हित या आवधिक प्रकृति के ऐसे अन्य भुगतानों के मामले में कोई व्यक्ति समापन प्रारंभ करने की तारीख तक देय और अदत्त राशि का ही दावा प्रस्तुत कर सकता है।

## **27. भविष्य में संदाय योग्य ऋण.**

(1) एक व्यक्ति जिसकी समापन के प्रारंभ होने की तारीख अदायगी देय नहीं है ऐसे बकाया के लिए अपना दावा साबित कर सकता है और जो उसी रीति से संवितरण का हकदार हो जैसे कोई अन्य पक्षकार।

(2) इसके विपरीत किसी संविदा के अधीन जहां एक पक्षकार ने उप-विनियमन (1) के अधीन किसी बकाए के लिए अपना दावा साबित किया है, और ऋण संवितरण से पूर्व देय नहीं हुआ है, वह निम्नलिखित सूत्र द्वारा कम किए हुए स्वीकृत दावे के संवितरण का हकदार होगा -

$$X/(1+r)^n$$

जहां-

- (क) “X” स्वीकृत दावे का मूल्य है;
- (ख) “r” भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाप्रकाशित संवितरण की तारीख को “n” की परिपक्वता का सरकारी प्रतिभूतियों का अंतिम प्राप्त दर (%) है; और
- (ग) “n” दशमिक रूप में वर्षों और महीनों में व्यक्त अवधि है जो संवितरण की तारीख से प्रारंभ हो और अन्यथा ऋण के संदाय की देय तारीख हो।

## **28. पारस्परिक साख और अदायगी.**

यदि कारपोरेट व्यक्ति और अन्य पत्रों के मध्य पारस्परिक संव्यवहार हो, वहां एक पक्ष की कुल देय राशियों को दूसरे पक्ष का देय राशियों पर स्थापित किया जा सकता है जिससे कारपोरेट व्यक्ति या अन्य पक्ष को देय निवल राशि का पता लगाया जा सके।

*उदाहरण:* X पर कारपोरेट व्यक्ति का 100 रुपए बकाया है। कारपोरेट व्यक्ति पर X का 70 रुपए बकाया है, तो X द्वारा कारपोरेट व्यक्ति को 30 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

## **29. दावों का सत्यापन.**

(1) परिपरिसमापक दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से तीस दिनों के भीतर दावों का सत्यापन करेगा और संहिता की धारा 40 के अनुसार, पूर्णतः अथवा अंशतः, जैसा भी मामला हो, दावा स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा।

(2) लेनदार संहिता की धारा 42 के अनुसार परिपरिसमापक के निर्णय के विरुद्ध अधिनिर्णयन प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

## **30. पक्षकारों की सूची.**

(1) इन विनियमों के अधीन प्रस्तुत और स्वीकृत दावों के प्रमाण के आधार पर परिपरिसमापक पक्षकारों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे -

- (क) स्वीकृत दावे की राशि, यदि लागू हो,
- (ख) ऋण या बकाए के प्रतिभूत या अप्रतिभूत होने की सीमा, यदि लागू हो,
- (ग) पक्षकारों के ब्यौरे, और
- (घ) अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत प्रमाण और पूर्णतः अस्वीकृत प्रमाण।

(2) परिपरिसमापक दावों की प्राप्त की अंतिम तारीख से पैतालिस दिनों के भीतर पक्षकारों की सूची तैयार करेगा।

<sup>11</sup>[परन्तु जहां लेनदारों से, दावों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख तक कोई दावा प्राप्त नहीं किया गया है वहां परिसमापक, दावों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर हितधारकों की सूची तैयार करेगा ।]

(3) समय-समय पर यथासंशोधित पक्षकारों की सूची -

- (क) दावे का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी;
- (ख) कारपोरेट व्यक्ति के सदस्यों, भागीदारों, निदेशकों और गारंटीकर्ताओं द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी;
- (ग) कारपोरेट व्यक्ति की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित की जाएगी;
- (घ) बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य से नामित वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित की जाएगी।

## अध्याय-VI आस्तियों की प्राप्ति

### 31. बिक्री की रीति.

---

<sup>11</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा अंतस्थापित ।

परिपरिसमापक कारपोरेट व्यक्ति की आस्तियों का मूल्यांकन और बिक्री किसी ऐसी रीति में और किसी ऐसी पद्धति द्वारा कर सकता है जो कि कारपोरेट व्यक्ति द्वारा अनुमोदित हो एवं संबंधित सभी लागू विधियों के प्रावधानों के अनुकूल हो।

*स्पष्टीकरण:* “आस्तियों” में आस्तियों की बिक्री के संबंध में कोई एक आस्ति, सभी आस्तियां, आस्तियों का एक सेट अथवा आस्तियों का पार्सल, जैसा भी मामला हो, शामिल है।

### **32. बकाया धन की वसूली.-**

परिपरिसमापक पक्षकारों के मूल्यों के अधिकतम प्राप्ति करने हेतु एक समयबद्ध तरीके से कारपोरेट व्यक्ति की सभी आस्तियों और उसके प्रति सभी बकायों की वसूली और प्राप्ति करने का प्रयास करेगा।

### **33. परिपरिसमापक अप्रयुक्त पूंजी अथवा असंदत पूंजी अंशदान की प्राप्ति करेगा.-**

(1) परिपरिसमापक कारपोरेट व्यक्ति के किसी अंशदाता से बकाया राशि की वसूली करेगा।

(2) कारपोरेट व्यक्ति के अनाहूत पूंजी पर किसी शुल्क अथवा ऋणभार के बावजूद भी परिपरिसमापक के पास कारपोरेट व्यक्ति के अनाहूत पूंजी को मांगने और वसूलने तथा, सभी अंशदाताओं को नोटिस प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान करने का नोटिस देकर, समापन प्रारंभ से पहले किए गए अप्रयुक्त देय राशि के बकाए की अकत्रित करने का पात्र होगा, किंतु वह ऐसे किसी शुल्क अथवा ऋणभार के धारक के अधिकारों, यदि कोई हो, के अधीन इस प्रकार प्राप्त सभी राशियों को रखेगा।

(3) किसी अंशदाता को तब तक कोई संवितरण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह कारपोरेट व्यक्ति के वैधानिक दस्तावेज में यथाअपेक्षित अनाहूत प्रयुक्त अथवा असंदत पूंजी में उसका अंशदान नहीं करता है।

## **अध्याय-VII**

### **समापन से प्राप्त और प्राप्ति का संवितरण**

### **34. पूरा पैसा बैंक खाते में भुगतान किया जाना.**

- (1) परिपरिसमापक किसी अधिसूचित बैंक में, कारपोरेट व्यक्ति को देय सभी पैसे की प्राप्ति के लिए कारपोरेट व्यक्ति के नामे एक बैंक लेखा खोलेगा जिसमें नाम के बाद स्वैच्छिक समापन में लिखा होगा।
- (2) परिपरिसमापक कारपोरेट व्यक्ति के परिपरिसमापक के रूप में उसके द्वारा प्राप्त सभी पैसा, चेक और मांग ड्राफ्ट सहित, उप-विनियमन (1) के अधीन खोले गए बैंक खाते में जमा कराएगा, और प्रत्येक दिन की प्राप्तियां बिना किसी कटौती के अगले कार्यदिवस तक बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- (3) बैंक खाते में जमा पैसे का उपयोग नहीं किया जाएगा, सिवाय उस रीति में जो धारा 53(1) में दी गई है।
- (4) परिपरिसमापक द्वारा खाते में पांच हजार रुपए से अधिक के सभी भुगतान बैंक खाते से बैंक या ऑनलाइन संव्यवहार के माध्यम से किए जाएंगे।

### **35. संवितरण.**

- (1) परिपरिसमापक वसूलियों से प्राप्त पैसे का वितरण पक्षकारों के खाते की प्राप्ति के <sup>12</sup>[तीस दिन] के भीतर करेगा।
- (2) प्रत्येक वितरण से पहले समापन लागत की कटौती की जाएगी।
- (3) परिपरिसमापक, कारपोरेट निकाय की अनुमति से, पक्षकारों के बीच, किसी ऐसी आस्ति का वितरण कर सकता है, जिसे उसकी विशेष प्रकृति या विशेष परिस्थितियों के कारण तुरंत अथवा लाभपद रूप से नहीं बेचा जा सकता हो।

### **36. पैसे की वापसी.**

---

<sup>12</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कोई पक्षकार संवितरण के दौरान उसे प्राप्त कोई ऐसी राशि तुरंत वापस करेगा जिसका वह संवितरण के समय हकदार नहीं था या बाद में हकदार नहीं रह गया था।

### 37. समापन पूरा होना.

<sup>13</sup>[(1) परिसमापक, -

- (क) जहां लेनदारों ने धारा 59 की उपधारा (3) के खंड (ग) या विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के अधीन समाधान का अनुमोदन किया है, वहाँ समापन प्रारंभ होने से दो सौ सत्तर दिन; और
- (ख) अन्य सभी मामलों में, समापन प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर कारपोरेट व्यक्ति की समापन प्रक्रिया पूरी करने और विनियम 38 के अधीन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा ।]

(2) समापन प्रक्रिया के बारह महीने से अधिक समय तक जारी रहने की स्थिति में, परिपरिसमापक-

- (क) समापन प्रारंभ होने की तारीख से बारह महीने पूरा होने के प्रंद्रह दिनों के भीतर, और कारपोरेट व्यक्ति का विघटन पूरा होने तक प्रत्येक बारह महीने की समाप्ति पर, कारपोरेट व्यक्ति के अंशदाताओं की बैठक आयोजित करेगा; और
- (ख) समापन में प्रगति दर्शाते हुए एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (रिपोर्टें) प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे-
  - (i) पक्षकारों की सूची का निर्धारण;
  - (ii) बेचे जाने अथवा वसूली की जाने वाली किसी आस्ति के ब्यौरे;
  - (iii) पक्षकारों को किए गए वितरण; और
  - (iv) नहीं बेची गई आस्तियों का पक्षकारों को किया गया वितरण;

---

<sup>13</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (v) कारपोरेट व्यक्ति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी भौतिक कार्रवाई में हुई प्रगति; और
- (vi) संहिता के भाग-2 के अध्याय-3 के अनुसार संव्यवहार से बचने के लिए आवेदनों की फाइलिंग और उसमें प्रगति।

(3) वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के साथ समापन प्रारंभ की तारीख से समापन से संबंधित प्राप्तियां और भुगतान दर्शाता हुआ समापन का लेखापरीक्षित लेखा संलग्न किया जाएगा।

### 38. अंतिम रिपोर्ट.-

(1) समापन प्रक्रिया पूरा होने पर, परिपरिसमापक एक अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) समापन प्रारंभ की तारीख से समापन से संबंधित प्राप्तियां और भुगतान दर्शाता हुआ समापन का लेखापरीक्षित लेखा संलग्न किया जाएगा; और

(ख) निम्नलिखित दर्शाता हुए एक विवरण कि-

- (i) कारपोरेट व्यक्ति की आस्तियों का निपटान किया गया है;
- (ii) कारपोरेट व्यक्ति के ऋणों का भुगतान लेनदारों की संतुष्टि के अनुसार किया गया है;
- (iii) कारपोरेट व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई लंबित नहीं है अथवा किसी लंबित कानूनी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

(ग) सभी आस्तियों के संबंध में एक बिक्री विवरण, जिसमें शामिल होंगे-

- (i) प्राप्त मूल्य;



- (ii) प्राप्ति की लागत, यदि कोई हो;
- (iii) बिक्री की रीति और पद्धति;
- (iv) कमी के लिए स्पष्टीकरण, यदि प्राप्त मूल्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा धारा 59(3)(ख)(ii) अथवा विनियमन 3(2)(ख), जैसा भी मामला हो, के अनुसार तैयार आस्तियों का मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गए मूल्य से कम हो।
- (v) वह व्यक्ति जिसे बेचा गया है; और
- (vi) बिक्री का कोई अन्य ब्यौरा।

(2) परिपरिसमापक तुरंत ही अंतिम रिपोर्ट रजिस्ट्रार और बोर्ड को भेजेगा।

<sup>14</sup>[(3) परिसमापक, अंतिम रिपोर्ट और धारा 59 की उपधारा (7) के अधीन आवेदन सहित प्ररूप-ज में अनुपालन प्रमाणपत्र, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।]

### <sup>15</sup>[39. कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाता

(1) बोर्ड भारत के लोक खाते में एक खाता रखेगा और उसका प्रचालन करेगा जिसे कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाता कहा जाएगा:

परन्तु जब तक कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते का प्रचालन भारत के लोक खाते के भागस्वरूप नहीं किया जाता है, तब तक बोर्ड इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाता खोलेगा।

(2) परिसमापक, इससे पूर्व कि वह धारा 59 की उपधारा (7) के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत करे, किसी स्वैच्छिक समापन कार्यवाही में अदावाकृत लाभांशों, यदि कोई हैं, और अवितरित आगमों, यदि कोई हैं, की रकम, जमा करने की तारीख तक उस पर अर्जित किसी आय सहित, कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा करेगा।

(3) ऐसा परिसमापक, जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख को किसी स्वैच्छिक समापन कार्यवाही में अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों की कोई रकम धारित करता है, उसे

<sup>14</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>15</sup> अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.054, दिनांकित 15-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

ऐसे प्रारंभ की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उस पर जमा किए जाने की तारीख तक अर्जित आय सहित जमा करेगा ।

(4) ऐसा परिसमापक, जो विनियम के अधीन कोई रकम कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा करने में असफल रहता है, उसे जमा करने की नियत तारीख से जमा करने की तारीख तक उस पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित जमा करेगा ।

(5) परिसमापक, उस प्राधिकारी को, जिसके पास कारपोरेट ऋणी रजिस्ट्रीकृत है और बोर्ड को इस विनियम के अधीन कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में रकम जमा करने का साक्ष्य और कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम की प्रकृति और अदावाकृत लाभांश या अवितरित आगम प्राप्त करने के हकदार हितधारकों के नाम और उनके अंतिम ज्ञात पते उपवर्णित करते हुए प्ररूप छ में एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(6) परिसमापक, इस विनियम के अधीन कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई किसी रकम के लिए बोर्ड से रसीद लेने का हकदार होगा ।

(7) ऐसा हितधारक, जो कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है, रकम की निकासी के लिए किसी आदेश हेतु बोर्ड को <sup>16</sup>[प्ररूप झ] में आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यदि हितधारक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है तो वह बोर्ड को संतुष्ट करने के लिए कि वह इस प्रकार हकदार है, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(8) बोर्ड, यदि संतुष्ट हो जाता है कि हितधारक या उप-विनियम (7) के अधीन निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से किसी रकम की निकासी का हकदार है तो वह उस हितधारक या उस अन्य व्यक्ति के पक्ष में उसके लिए आदेश कर सकेगा ।

(9) बोर्ड, इस विनियम के अधीन कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम और उसमें से निकाली गई रकम की कारपोरेट ऋणी-वार लेखा-बही रखेगा ।

(10) बोर्ड, कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते के अभिरक्षक के रूप में बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के स्तर के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा और उसके अनुमोदन के बिना किसी भी आगम की निकासी नहीं की जाएगी ।

(11) बोर्ड, कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते का समुचित लेखा रखेगा और उसकी प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा कराएगा।

---

<sup>16</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(12) उप-विनियम (11) में निर्दिष्ट कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते के लेखा विवरण सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट शासी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

(13) इस विनियम के अनुसरण में कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई ऐसी कोई रकम, जो कारपोरेट ऋणी के विघटन के आदेश की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक अदावाकृत या अवितरित बनी रहती है, और कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में प्राप्त या अर्जित आय या ब्याज की कोई रकम भारत की संचित निधि में अंतरित कर दी जाएगी ।

#### **40. कपट अथवा ऋण शोधन अक्षमता की पहचान.-**

(1) जहां परिपरिसमापक का यह मत है कि समापन किसी व्यक्ति के साथ कपट करने के लिए किया जा रहा है, वहां वह समापन प्रक्रिया के निलंबन के लिए और ऐसा आदेश पारित करने के लिए जो वह उपयुक्त समझे अधिनिर्णयन प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकता है।

(2) जहां परिपरिसमापक का यह मत है कि कारपोरेट व्यक्ति समापन में बेचे जाने वाली आस्तियों की प्राप्ति से ऋणों की पूरी अदायगी नहीं कर पाएगा, वहां वह समापन प्रक्रिया के निलंबन और ऐसा आदेश पारित करने के लिए जो वह उपयुक्त समझे अधिनिर्णयन प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकता है।

#### **<sup>17</sup>[41. अभिलेखों का परिरक्षण .-**

[(1) परिसमापक ऐसे समस्त अभिलेखों की प्रतियों को, जो स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन देने के लिए आवश्यक है, परिरक्षित रखेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन बाध्यताओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिसमापक निम्नलिखित से संबंधित या उनका आधार गठित करने वाले अभिलेखों की प्रतियां परिरक्षित रखेगा -

(क) परिसमापक के रूप में उसकी नियुक्ति, जिसके अंतर्गत नियुक्ति के निबंधन भी हैं;

(ख) असाइनमेंट सौंपने/ग्रहण करने;

---

<sup>17</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.095, दिनांकित 16-09-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (ग) स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ करने;
- (घ) लोक उद्घोषणा;
- (ङ) दावों, दावों के सत्यापन और हितधारकों की सूची;
- (च) व्यावसायिकों, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों, आदि के नियोजन, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा किए गए कार्य, प्रस्तुत की गई रिपोर्टें आदि भी हैं;
- (छ) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय, जो भी लागू हो, के समक्ष सभी फाइलिंग और उनके आदेश;
- (ज) बोर्ड और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के समक्ष कानूनी फाइलिंग;
- (झ) स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के दौरान पत्र-व्यवहार;
- (ञ) स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया की लागत;
- (ट) समस्त रिपोर्टें, रजिस्टर, दस्तावेज़, जैसे प्रारंभिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रास्थिति रिपोर्ट, विघटन से पूर्व अंतिम रिपोर्ट, मूल विनियमों के विनियम 98 और 10 में उल्लिखित विभिन्न रजिस्टर और बहियां, आदि;
- (ठ) ऐसा कोई अन्य अभिलेख, जिससे प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन दिया जाना अपेक्षित है ।
- (3) परिसमापक, , बोर्ड, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या किसी न्यायालय के समक्ष, जो भी पश्चात्त्वर्ती हो, कारपोरेट व्यक्ति के विघटन की तारीख से-
- (क) कम से कम आठ वर्षों के, समस्त अभिलेखों की इलैक्ट्रॉनिक प्रति (भौतिक और इलैक्ट्रॉनिक); और
- (ख) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए, अभिलेखों की एक भौतिक प्रति, परिरक्षित रखेगा ।
- (4) प्रक्रिया के दौरान परिसमापक के बदले जाने की दशा में, छोड़ने वाला परिसमापक, उप-विनियम (1) और (2) के अधीन अभिलेख नए परिसमापक को सौंपेगा ।
- (5) परिसमापक अभिलेखों को किसी सुरक्षित स्थान पर परिरक्षित रखेगा और वह अभिलेखों को, जैसा कि संहिता और मूल विनियमों के अधीन अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा ।

(6) परिसमापक, धारा 59 की उपधारा (7) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए आवेदन के साथ उप-विनियम (1) और (2) के अधीन अभिलेखों के परिरक्षण के ब्यौरे और उसकी रीति उपलब्ध कराएगा ।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के अधीन निर्दिष्ट अभिलेख के अंतर्गत किसी समापन प्रक्रिया की ऐसे अवधि से संबंधित अभिलेख भी है, जिसके दौरान परिसमापक ने इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने उसके प्रारंभ से असाइनमेंट ग्रहण नहीं की थी या उसके पूरा होने तक असाइनमेंट जारी नहीं रखी थी, इस रूप में कार्य किया था ।]

## अनुसूची-I

### प्ररूप क

### सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

### [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के पक्षकारों के ध्यानार्थ

1.	कारपोरेट व्यक्ति का नाम	
2.	कारपोरेट व्यक्ति के निगमन की तारीख	
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कारपोरेट व्यक्ति निगमित/रजिस्ट्रीकृत है	
4.	कारपोरेट व्यक्ति की कारपोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता भागीदारी संख्या	
5.	कारपोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	
6.	कारपोरेट व्यक्ति का समापन प्रारंभ होने की तारीख	
7.	परिपरिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या	
8.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	

सूचित किया जाता है कि [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] ने [समापन प्रारंभ होने की तारीख] को स्वैच्छिक समापन प्रारंभ किया है।

[कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के पक्षकारों को <sup>18</sup>[समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर वाली तारीख लिखें] को अथवा उससे पहले मद संख्या 7 में उल्लिखित पते पर परिपरिसमापक के समक्ष उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके में प्रस्तुत करें। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों का गलत अथवा गुमराह करने वाला प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

परिपरिसमापक का नाम और हस्ताक्षर  
तारीख और स्थान:

---

<sup>18</sup> अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.039, दिनांकित 15-01-2019 द्वारा प्रतिस्थापित ।

**अनुसूची-।**  
**प्ररूप ख**

**श्रमिकों और कर्मचारियों के सिवाय संचालन लेनदारों द्वारा दावों का प्रमाण**

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017  
के विनियम 16 के अधीन)

[तारीख]

सेवा में,  
परिसमापक  
[परिसमापक का नाम]  
[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

प्रेषक  
[संचालन लेनदार का नाम और पता]

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट व्यक्ति का नाम)  
के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

[संचालन लेनदार का नाम] [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के स्वैच्छिक समापन के संबंध में  
दावों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1.	पक्षकार का नाम	
----	----------------	--



	(यदि कोई निगमित निकाय है तो पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण प्रस्तुत करें, यदि कोई भागीदारी अथवा एकल व्यक्ति है तो सभी भागीदारों अथवा एकल व्यक्ति का पहचान अभिलेख* उपलब्ध कराएं)	
2.	पत्राचार हेतु संचालन लेनदारों का पता	
3.	स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को हित सहित दावे की कुल राशि और दावे की प्रकृति का ब्यौरा	
4.	किसी विवाद और किसी लंबित वाद अथवा मध्यस्थता कार्यवाही के अभिलेख के ब्यौरे	
5.	ऋणग्रस्त होने के समय और रीति का ब्यौरा	
6.	कारपोरेट व्यक्ति और संचालन लेनदार के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके	
7.	उन पण्यों अथवा परिसंपत्तियों जिससे ऋण संबंधित है अथवा कोई अन्य प्रतिभूति, के संबंध में कोई दावा रखने का ब्यौरा	
8.	किसी कार्य अथवा ऋण के उसके पक्ष में अंतरण का ब्यौरा	
9.	बैंक लेखा का ब्यौरा जिसमें समापन प्राप्ति्यों में संचालन लेनदार का हिस्सा अंतरित किया जा सके।	
10.	दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों	

	की सूची लिखें और उन्हें संलग्न करें।	
--	--------------------------------------	--

संचालन लेनदार अथवा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर  (यदि संचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो प्राधिकार संलग्न करें)	
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
लेनदार के रूप में अथवा उनके संबंध में स्थिति	
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम	

\*पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

#### शपथ-पत्र

मैं [अभिसाक्षी का नाम], वर्तमान निवास पता [अभिसाक्षी का पता] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नलिखित कहता हूँ:

1. उपर उल्लिखित कारपोरेट व्यक्ति, समापन प्रारंभ होने की तारीख को, अर्थात् \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ और अभी भी उचित और सत्य रूप से मेरे [अथवा मेरे और (सहभागीदारों के नाम लिखें), मेरे व्यापार के सह भागीदारों, अथवा, जैसा भी मामला हो] के प्रति [कृपया क्षतिपूर्ति का उल्लेख करें] के लिए \_\_\_\_\_ रुपए की राशि हेतु ऋणी है।

2. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मेरा दावा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर आधारित है।

[ऋण के साक्ष्य के रूप में दावों की सूची तैयार करें]

3. उक्त दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।

4. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के संबंध में न ही मैंने, न ही मेरे भागीदारों अथवा उनमें से किसी ने, न ही मेरे/हमारे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने, मेरी अथवा हमारी जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार, मेरे अथवा हमारे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर और उसके सिवाय, किसी भी रीति में कोई हर्जाना अथवा किसी प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त की है:

*[कारपोरेट व्यक्ति और संचालन लेनदार के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे का उल्लेख करें जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके]*

मेरे सामने दिनांक \_\_\_\_\_ को सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता है।

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

### सत्यापन

मैं, उपर्युक्त में अभिसाक्षी, यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा \_\_\_\_\_ में कही गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। इसमें कुछ भी झूठा नहीं है और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है।

दिनांक \_\_\_\_\_ को सत्यापित

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

अनुसूची-I

प्ररूप ग

**वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों का प्रमाण**

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017  
के विनियम 17 के अधीन)

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

प्रेषक

[वित्तीय लेनदार का पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालय का नाम और पता]

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट व्यक्ति का नाम)  
के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

[वित्तीय लेनदार का नाम] [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के स्वैच्छिक समापन के संबंध में  
दावों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसे ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1.	<p>वित्तीय लेनदार का नाम</p> <p>(यदि कोई निगमित निकाय पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण प्रस्तुत करे, यदि कोई भागीदारी अथवा एकल व्यक्ति सभी भागीदारों अथवा एकल व्यक्ति का पहचान अभिलेख* उपलब्ध कराएं)</p>	
2.	पत्राचार के लिए वित्तीय लेनदार का पता और ई-मेल	
3.	स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को हित सहित दावे की कुल राशि और दावे की प्रकृति का ब्यौरा (आवधिक ऋण, प्रतिभूत है अथवा अप्रतिभूत)	
4.	ऋण के गैर-भुगतान पर अधिनिर्णय करने वाले अधिकरण के न्यायालय के किसी आदेश के ब्यौरे	
5.	ऋणग्रस्त होने के समय और रीति का ब्यौरा	
6.	कारपोरेट व्यक्ति और वित्तीय लेनदार के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके	
7.	किसी धारित प्रतिभूति के ब्यौरे, प्रतिभूति का मूल्य और इसे दिए जाने की तारीख	
8.	किसी कार्य अथवा ऋण के उसके पक्ष में अंतरण का ब्यौरा	
9.	बैंक लेखा का ब्यौरा जिसमें समापन प्राप्ति्यों में संचालन लेनदार का हिस्सा अंतरित किया जा सके।	

10.	उन दस्तावेजों की सूची तैयार और संलग्न करें जिसके संदर्भ में ऋण सत्यापित हो और दावे का समर्थन हो	
-----	---	--

वित्तीय लेनदार अथवा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर  (यदि किसी वित्तीय लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो प्राधिकार संलग्न करें)	
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
लेनदार के रूप में अथवा उनके संबंध में स्थिति	
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता	

\*पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

#### शपथ-पत्र

मैं [अभिसाक्षी का नाम], वर्तमान निवास पता [अभिसाक्षी का पता] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नलिखित कहता हूँ:

1. उपर उल्लिखित कारपोरेट व्यक्ति, समापन प्रारंभ होने की तारीख को, अर्थात् \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ और अभी भी उचित और सत्य रूप से मेरे [अथवा मेरे और (सहभागीदारों के नाम लिखें), मेरे व्यापार के सह भागीदारों, अथवा, जैसा भी मामला हो]

के प्रति [कृपया क्षतिपूर्ति का उल्लेख करें] के लिए \_\_\_\_\_ रुपए की राशि हेतु ऋणी है।

2. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मेरा दावा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर आधारित है।

[ऋण के साक्ष्य के रूप में दावों की सूची तैयार करें]

3. उक्त दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक हैं।

4. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के संबंध में न ही मैंने, न ही मेरे भागीदारों अथवा उनमें से किसी ने, न ही मेरे/हमारे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने, मेरी अथवा हमारी जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार, मेरे अथवा हमारे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर और उसके सिवाय, किसी भी रीति में कोई हर्जाना अथवा किसी प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त की है:

*[कारपोरेट व्यक्ति और वित्तीय लेनदार के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे का उल्लेख करें जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके]*

मेरे सामने दिनांक \_\_\_\_\_ को सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता है।

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

### सत्यापन

मैं, उपर्युक्त में अभिसाक्षी, यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा \_\_\_\_\_ में कही गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। इसमें कुछ भी झूठा नहीं है और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है।

दिनांक \_\_\_\_\_ को सत्यापित

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

अनुसूची-I  
प्ररूप घ

**श्रमिक अथवा कर्मचारी द्वारा दावों का प्रमाण**

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017  
के विनियम 18(1) के अधीन)

[तारीख]

सेवा में,  
परिसमापक  
[परिसमापक का नाम]  
[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

प्रेषक  
[श्रमिक अथवा कर्मचारी का नाम और पता]

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट व्यक्ति का नाम)  
के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

[श्रमिक/कर्मचारी का नाम] [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के स्वैच्छिक समापन के संबंध में  
दावों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसे ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:



1.	श्रमिक/कर्मचारी का नाम	
2.	श्रमिक/कर्मचारी का पैन, पासपोर्ट अथवा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र	
3.	पत्राचार के लिए श्रमिक/कर्मचारी का पता और ई-मेल	
4.	दावा की कुल राशि (स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने की तारीख को हित सहित)	
5.	किसी विवाद के साथ-साथ लंबित मामलों का अभिलेख अथवा वाद का आदेश अथवा मध्यस्थता कार्यवाही के ब्यौरे	
6.	कब और कैसे दावा करना उसके ब्यौरे	
7.	कारपोरेट व्यक्ति और श्रमिक/कर्मचारी के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके	
8.	बैंक लेखा का ब्यौरा जिसमें समापन प्राप्ति्यों में श्रमिक/कर्मचारी का हिस्सा अंतरित किया जा सके	
9.	उन दस्तावेजों की सूची तैयार और संलग्न करें जिसके संदर्भ में ऋण सत्यापित हो और दावे का समर्थन हो	

श्रमिक/कर्मचारी अथवा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर  
[यदि किसी संचालन लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो प्राधिकार संलग्न करें]

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
लेनदार के रूप में अथवा उनके संबंध में स्थिति
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

### शपथ-पत्र

मैं [अभिसाक्षी का नाम], वर्तमान निवास पता [अभिसाक्षी का पता] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नलिखित कहता हूँ:

1. उपर उल्लिखित कारपोरेट व्यक्ति, समापन प्रारंभ होने की तारीख को, अर्थात् \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ और अभी भी उचित और सत्य रूप से मेरे [अथवा मेरे और (सहभागीदारों के नाम लिखें), मेरे व्यापार के सह भागीदारों, अथवा, जैसा भी मामला हो] के प्रति [कृपया क्षतिपूर्ति का उल्लेख करें] के लिए \_\_\_\_\_ रुपए की राशि हेतु ऋणी है।

2. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मेरा दावा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर आधारित है।

[ऋण के साक्ष्य के रूप में दावों की सूची तैयार करें]

उक्त दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक है।

4. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के संबंध में न ही मैंने, न ही मेरे भागीदारों अथवा उनमें से किसी ने, न ही मेरे/हमारे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने, मेरी अथवा हमारी जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार, मेरे अथवा हमारे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर और उसके सिवाय, किसी भी रीति में कोई हर्जाना अथवा किसी प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त की है:

[कारपोरेट व्यक्ति और श्रमिक/कर्मचारी के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे का उल्लेख करें जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके]

मेरे सामने दिनांक \_\_\_\_\_ को सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता है।

नोटरी/शपथ आयुक्त  
अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

### सत्यापन

मैं, उपर्युक्त में अभिसाक्षी, यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा \_\_\_\_\_ में कही गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। इसमें कुछ भी झूठा नहीं है और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है।

दिनांक \_\_\_\_\_ को सत्यापित

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

## अनुसूची-1

प्ररूप ड.

### श्रमिकों और कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावे का प्रमाण

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 18(2) के अधीन)

[तारीख]

सेवा में,

परिसमापक

[परिसमापक का नाम]

[पता जैसा कि सार्वजनिक घोषणा में उल्लेख है]

प्रेषक

[श्रमिकों/कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता]

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट व्यक्ति का नाम) के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

मैं, [श्रमिकों/कर्मचारियों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम] वर्तमान निवासी [श्रमिकों/कर्मचारियों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम], उक्त नामित कारपोरेट व्यक्ति द्वारा नियुक्त श्रमिकों और कर्मचारियों की ओर से दृढ़तापूर्वक कहता हूँ:

1. कि उपर्युक्त नामित कारपोरेट व्यक्ति स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 20\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन से अब तक कुछ व्यक्तियों,

जिनके नाम, पते और विवरण नीचे अनुलग्नक में दिए गए हैं, द्वारा कारपोरेट व्यक्ति के रोजगार में श्रमिक या/और कर्मचारी के रूप में उक्त अवधि के दौरान कारपोरेट व्यक्ति को उनके द्वारा गई सेवाओं के संबंध में क्रमशः मजदूरी, पारिश्रमिक और अन्य बकाया राशि, जिसका उक्त अनुलग्नक में उनके नामों के आगे उल्लेख है, का न्यायोजित वास्तविक ऋणी है।

2. कि जिसके लिए उक्त राशि या उसके किसी भाग का उन्होंने या उनमें से किसी एक ने निम्नलिखित को छोड़कर किसी प्रकार का भुगतान या प्रतिभूति प्राप्त नहीं की थी या नहीं की है:

[कृपया परस्पर लेनदारी, परस्पर ऋण या कारपोरेट व्यक्ति और श्रमिकों/कर्मचारियों के मध्य किसी अन्य परस्पर संव्यवहार का उल्लेख करें जिसे दावे के प्रति बट्टे खाते डाला जा सकता है।]

हस्ताक्षर:

### अनुलग्नक

1. विवरण कि कारपोरेट व्यक्ति द्वारा राशि बकाया कैसे हुई जिसमें किसी विवाद और मुकदमा या मध्यस्थता कार्रवाई लंबित रहने का रिकार्ड शामिल है।
  2. किसी परस्पर लेनदारी, परस्पर ऋण या कारपोरेट व्यक्ति और श्रमिकों/कर्मचारियों के मध्य कोई अन्य परस्पर संव्यवहार जिसे दावे के प्रति बट्टे खाते डाला जा सकता है।
  3. दावे को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची बनाएं और संलग्न करें।
1. कर्मचारियों/श्रमिकों के विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी/श्रमिक का नाम	पहचान संख्या (पैन/पासपोर्ट संख्या/आधार संख्या/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र	कुल देय राशि और दावे की प्रकृति विवरण	अवधि जिसके लिए राशि बकाया	रोजगार संविदाओं तथा अन्य प्रमाणों सहित ऋण के साक्ष्य के
---------	------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------	---

		और कर्मचारी संख्या, यदि हो		है	विवरण
1.					
2.					
3.					

### शपथ-पत्र

मैं, [प्रतिवादी का पूरा नाम, पता और व्यवसाय लिखें] दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूँ कि:

1. उपर्युक्त नामित कारपोरेट व्यक्ति समापन प्रारंभ की तारीख अर्थात् 20\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन और वर्तमान में श्रमिकों और कर्मचारियों का \_\_\_\_\_ [रोजगार की प्रकृति और अवधि लिखें] के लिए \_\_\_\_\_ रुपए की राशि का उचित और सही रूप में ऋणी है।

2. उक्त राशि या इसके किसी भाग के मेरे दावे निम्नलिखित निर्दिष्ट दस्तावेजों पर आधारित हैं:-

[कृपया प्रमाण पत्र के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों की सूची लगाएं]

3. उक्त दस्तावेज मेरी जानकारी, सूचना और विश्वास में सही, मान्य और वास्तविक है।

4. उक्त राशि या उसके किसी भाग के संबंध में, किसी श्रमिक/कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे आदेश से/मेरी जानकारी या विश्वास में, मेरे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर किसी प्रकार का भुगतान या प्रतिभूति प्राप्त नहीं की थी और न की है:

[कारपोरेट व्यक्ति और श्रमिकों/कर्मचारियों के मध्य किसी परस्पर लेनदारी, परस्पर ऋणों या परस्पर संव्यवहार के विवरण बताएं जिन्हें दावे के प्रति बट्टे खाते डाला जा सकता हो।]

20\_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ मास के \_\_\_\_\_ दिन विधिवत् से पुष्टि की जाती है।

मेरे समक्ष

नोटरी/शपथ आयुक्त

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

### सत्यापन

मैं, उपरोक्त प्रतिवादी एतद्वारा सत्यापन और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ की विषयवस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। कोई भी बात मिथ्या नहीं है और न ही कोई बात छुपाई गई है।

20\_\_\_\_\_ के मास \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ को सत्यापित

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

## अनुसूची-1

### प्ररूप च

#### किसी अन्य पक्षकार द्वारा दावे का प्रमाण

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017  
के विनियम 19 के अधीन)

[तारीख]

सेवा में,  
परिसमापक  
[परिसमापक का नाम]  
[सार्वजनिक घोषणा के अनुसार पता]

प्रेषक  
[अन्य पक्षकार का नाम और पता]

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन (कारपोरेट व्यक्ति का नाम)  
के स्वैच्छिक समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

[पक्षकार का नाम] [कारपोरेट व्यक्ति का नाम] के मामले में समापन के संबंध में दावे का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस दावे के विवरण नीचे दिए गए हैं:

1.	पक्षकार का नाम  (यदि कोई निगमित निकाय पहचान संख्या और निगमन का प्रमाण देता है। यदि कोई भागीदारी या	
----	--	--



	व्यक्ति सभी भागीदारों या व्यक्ति का पहचान रिकार्ड* देता है)	
2.	पत्र व्यवहार के लिए पक्षकार का पता और ई-मेल	
3.	समापन प्रारंभ की तारीख को हित सहित दावे की कुल राशि तथा दावे का प्रकार	
4.	विवरण कि यह दावा कैसे और कब बना	
5.	कारपोरेट व्यक्ति और अन्य पक्षकार के मध्य परस्पर लेनदारी, परस्पर ऋण या परस्पर संव्यवहार के ब्यौरे जिन्हें इस दावे के प्रति बट्टे खाते डाला जा सकता है।	
6.	जिन वस्तुओं या संपत्तियों के संबंध में दावा किया गया है, उन पर कोई अधिकार जारी रहने के विवरण	
7.	उसके पक्ष में कोई दान पत्र या ऋण अंतरण के विवरण	
8.	बैंक खाते का विवरण जिसमें अन्य पक्षकार का समापन की आय से मिलने वाला हिस्सा अंतरित किया जा सकता है	
9.	उन दस्तावेजों की सूची दें और संलग्न करें जिनके आधार पर दावा सत्यापित किया जा सकता है या दावे के समर्थन में जिन पर विश्वास किया जा सकता है	

<p>पक्षकार या उसकी ओर से इस कार्य के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर</p> <p>(यदि अन्य पक्षकार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार संलग्न</p>	
---	--

करें)	
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध	
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता	

\*पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड अथवा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

### शपथ-पत्र

मैं [अभिसाक्षी का नाम], वर्तमान निवास पता [अभिसाक्षी का पता] सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और निम्नलिखित कहता हूँ:

1. उपर उल्लिखित कारपोरेट व्यक्ति, समापन प्रारंभ होने की तारीख को, अर्थात् \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ और अभी भी उचित और सत्य रूप से मेरे [अथवा मेरे और (सहभागीदारों के नाम लिखें), मेरे व्यापार के सह भागीदारों, अथवा, जैसा भी मामला हो] के प्रति [कृपया क्षतिपूर्ति का उल्लेख करें] के लिए \_\_\_\_\_ रुपए की राशि हेतु ऋणी है।
2. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के मेरे दावे के संबंध में मेरा दावा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर आधारित है।  
[ऋण के साक्ष्य के रूप में दावों की सूची तैयार करें]
3. उक्त दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य, वैध और वास्तविक है।
4. उपर्युक्त राशि अथवा उसके किसी भाग के संबंध में न ही मैंने, न ही मेरे भागीदारों अथवा उनमें से किसी ने, न ही मेरे/हमारे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने, मेरी अथवा हमारी जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार, मेरे अथवा हमारे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित को छोड़कर और उसके सिवाय, किसी भी रीति में कोई हर्जाना अथवा किसी प्रकार की प्रतिभूति नहीं प्राप्त की है:

[कारपोरेट व्यक्ति और वित्तीय लेनदार के मध्य पारस्परिक साख, पारस्परिक ऋण, अथवा अन्य पारस्परिक संव्यवहार के ब्यौरे जिसे दावे के विरुद्ध निपटाया जा सके]

मेरे सामने दिनांक \_\_\_\_\_ को सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ।

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

### सत्यापन

मैं, उपर्युक्त में अभिसाक्षी, यह सत्यापित और पुष्टि करता हूँ कि इस शपथ-पत्र के पैरा \_\_\_\_\_ में कही गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। इसमें कुछ भी झूठा नहीं है और कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है।

दिनांक \_\_\_\_\_ को सत्यापित

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

### <sup>19</sup>[प्ररूप छ

#### अदावाकृत लाभार्थों और/या अवितरित आगमों का निक्षेप

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2017 के विनियम 39(5) के अधीन]

#### क. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	कारपोरेट ऋणी का पहचान संख्यांक(सी.आई.एन./एल.एल.पी.आई.एन.)	
3	स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने की तारीख	
4	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा करने की तारीख	
5	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम (रु.)	
6	बैंक खाता, जिसमें से कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में रकम	

<sup>19</sup>अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.054, दिनांकित 15-01-2020 द्वारा अंतःस्थापित ।

	अंतरित की गई है - क. खाता सं. : ख. बैंक का नाम : ग. आई.एफ.एस.सी. : घ. एम.आई.सी.आर. : ड. बैंक की शाखा का पता :	
7	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम के ब्यौरे (रु.) क. अदावाकृत लाभांश ख. अवितरित आगम ग. जमा करने की नियत तारीख तक अर्जित आय घ. नियत तारीख से परे प्रतिधारित रकम पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज(कृपया ब्याज की रकम की संगणना दर्शित करें) <b>कुल</b>	

**ख. अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों के हकदार हितधारकों के ब्यौरे**

क्रम सं.	अदावाकृत लाभांश या अवितरित आगम प्राप्त करने के हकदार हितधारक का नाम	हितधारक का पता, फोन नं. और ईमेल पता	हितधारक का पहचान संख्यांक (पैन, सी.आई.एन./ एल.एल.पी.आई.एन./ डी.आई.एन., आधार सं.) (कृपया पहचान सबूत संलग्न करें)	हितधारक को देय रकम (रु.)	दावे की प्रकृति (रु.)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

**ग. स्वैच्छिक समापन खाते में किए गए निक्षेप के ब्यौरे**

मैंने (परिसमापक का नाम) कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में ..... को पावती सं..... द्वारा ..... रुपए (..... रुपए केवल) जमा किए हैं ।

मैं (परिसमापक का नाम) यह प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररूप में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा इसमें किसी भी तात्विक सामग्री को छिपाया नहीं गया है ।

(हस्ताक्षर)

परिसमापक का नाम

आई.पी.रजिस्ट्रीकरण सं.:

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता:

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.:

तारीख:

स्थान:

<sup>20</sup>[प्ररूप-ज

अनुपालन प्रमाणपत्र

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के  
विनियम 38(3) के अधीन]

मैं.....(परिसमापक का नाम), जो कि .....(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) के पास नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकरण संख्यांक .....(रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) के साथ रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक हूं, .....(कारपोरेट व्यक्ति का नाम) की स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के लिए परिसमापक हूं ।

2. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	विशिष्टिया	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	कारपोरेट व्यक्ति का नाम	
2	कारपोरेट व्यक्ति का सी.आई.एन./एल.एल.पी.आई.एन.	
3	एन.सी.एल.टी. पीठ	
4	स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया आरंभ करने की तारीख	
5	परिसमापक नियुक्त करने की तारीख	
6	परिसमापक का आई.पी. के रूप में रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
7	क्या परिसमापक को प्रक्रिया के दौरान बदला गया था (हां/नहीं) यदि हां, तो पूर्ववर्ती परिसमापक का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक पूर्ववर्ती परिसमापक को बदले जाने की तारीख	

<sup>20</sup>अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा अंतस्थापित ।

8	समापन के लिए बैंक खाता खोले जाने की तारीख (खाते के ब्यौरे सहित)	
9	अनाहूत पूंजी/असमादत्त पूंजी अभिदाय के लिए नोटिस की तारीख	
10	अनाहूत पूंजी/असमादत्त पूंजी अभिदाय की वसूली की तारीख	
11	कानूनी प्राधिकरण को सूचित करने की तारीख, जो भी लागू हो- क. भविष्य निधि(पी.एफ.) ख. कर्मचारी राज्य बीमा(ई.एस.आई.) ग. आय-कर घ. कारखाना निरीक्षक ड. जी.एस.टी./वैट च. भारतीय रिजर्व बैंक छ. अन्य	
12	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा की गई रकम: क. अदावाकृत लाभांश की रकम ख. अवितरित आगमों के रकम ग. विनियम 39 के उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट आय घ. विनियम 39 के उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट ब्याज <b>कुल:</b>	
13	परिसमापक का पारिश्रमिक(रुपए)	

### 3. कारपोरेट व्यक्ति के ब्यौरे

क्रम सं.	विशिष्टिया	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	निगमन का वर्ष	
2	संक्षेप में उद्देश्य	
3	समादत्त शेयर पूंजी/पूंजी(रकम रुपयों में)	
4	समापन प्रारंभ होने की तारीख को यथा-विद्यमान आस्तियां (रकम रुपयों में)	
5	समापन प्रारंभ होने की तारीख को यथा-विद्यमान संदेय ऋण (रकम रुपयों में)	
6	कारपोरेट व्यक्ति की शुद्ध संपत्ति(रकम रुपयों में)	

7	संक्षेप में स्वैच्छिक समापन आरंभ करने के लिए कारण	
---	---	--

4. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के दौरान वसूली के ब्यौरे:

क्रम सं.	विशिष्टिया	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1	आस्तियों का विक्रय	
2	कानूनी प्राधिकरणों से प्रतिदाय	
3	नकदी/बैंक अतिशेष	
4	अनाहूत/असमादत्त पूंजी की वसूली	
5	अविक्रीत आस्ति का वितरण	
6	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
	कुल	

5. संहिता की धारा 52 या धारा 53 के अनुसार हितधारकों को किए गए वितरण के ब्यौरे -

(लाख रुपयों में रकम)

क्रम सं.	धारा 52 और 53(1) के अधीन हितधारक*	दावाकृत रकम	स्वीकृत रकम	वितरित रकम	दावाकृत रकम के मुकाबले वितरित रकम(%)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रतिभूति हित की वसूली [धारा 52(1)(ख)]					
2	समापन लागत [धारा 53(1)(क)]					
3	कर्मचारों के देय [धारा 53(1) (ख) (i)]					
4	प्रतिभूत लेनदारों के ऋण [धारा 53 (1)(ख)(ii)]					
5	कर्मचारियों की मजदूरी और असंदत्त देय [धारा 53(1)(ग)]					
6	अप्रतिभूत वित्तीय लेनदारों के ऋण [धारा 53(1)(घ)]					

7	सरकारी देय+ प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के पश्चात् असंदत रकम [धारा 53(1)(ड)]					
8	कोई बकाया ऋण और देय [धारा 53(1)(च)]					
9	अधिमानी शेयरधारक [धारा 53(1)(छ)]					
10	साधारण शेयरधारक [धारा 53(1)(ज)]					
कुल						

\* यदि किसी प्रवर्ग में उप-प्रवर्ग हैं तो कृपया प्रत्येक उप-प्रवर्ग के लिए पंक्ति जोड़े ।

6. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का संचालन अनुबद्ध समय-सीमा के अनुसार किया गया है:

क्रम सं.	धारा/विनियम	कार्य का वर्णन	मानदंड (दिनों की संख्या)	अनुपालन की तारीख	वास्तविक समयसीमा (दिनों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	धारा 59(3)(क), विनियम 3(1)(क)	अधिकांश निदेशकों/ भागीदारों की ओर से कारपोरेट व्यक्ति की शोधन क्षमता और इस संबंध में घोषणा कि उसका समापन किसी व्यक्ति को कपट- वंचित करने के लिए नहीं किया जा रहा है	टी-28		
2	धारा 59(3)(ग) और (5), विनियम 3(1)(ग) और 3(3)	सदस्यों/भागीदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने और दिवाला व्यावसायिक की परिसमापन के रूप	टी=0		



		में नियुक्ति किए जाने के बारे में संकल्प/विशेष संकल्प पारित किया जाना			
3	धारा 59(3)(ग) का परन्तुक, विनियम 3(1)(ग)	यदि कारपोरेट व्यक्ति किसी ऋण का दायी है तो ऋण के मूल्यानुसार दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदारों का धारा 59(3)(ग) या विनियम 3(1)(ग) के अधीन पारित संकल्प का अनुमोदन	टी+7		
4	विनियम 5(2)	दिवाला व्यावसायिक द्वारा उसकी परिसमापक के रूप में नियुक्ति के संबंध में बोर्ड को सूचना	टी+7		
5	विनियम 14(1)	परिसमापक द्वारा प्ररूप क में लोक उद्घोषणा	टी+5		
6	धारा 59(4), विनियम 3(2)	कारपोरेट व्यक्ति द्वारा, कंपनी रजिस्ट्रार और बोर्ड को, यथास्थिति, धारा 59(3)(ग) और विनियम 3(1)(ग) के अधीन पारित संकल्प या उसके संबंध में लेनदारों के पश्चात्त्वर्ती अनुमोदन के बारे में अधिसूचना	टी+7 या टी+14		
7	धारा 38(1), विनियम 14(2)	हितधारकों द्वारा दावों का प्रस्तुत किया जाना	टी+30		

8	धारा 38(5)	हितधारकों द्वारा दावे की वापसी/उपांतरण	टी+44		
9	विनियम 9(1)	परिसमापक द्वारा कारपोरेट व्यक्ति को प्रारंभिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना	टी+45		
10	विनियम 29(1)	परिसमापक द्वारा दावों का सत्यापन किया जाना	टी+60		
11	धारा 40(2)	परिसमापक द्वारा हितधारकों को दावे की स्वीकृति/ अस्वीकृति संबंधी विनिश्चय के बारे में सूचना	टी+67		
12	विनियम 30(2)	परिसमापक द्वारा हितधारकों की सूची तैयार करना	टी+45*/75		
13	धारा 42	लेनदार द्वारा परिसमापक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील	टी+81		
14	विनियम 35(1)	परिसमापक द्वारा हितधारकों को आगमों का वितरण	वसूली की तारीख + 30		
15	विनियम 39(2)	परिसमापक द्वारा अदावाकृत और अवितरित आगमों की रकम का कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा किया जाना	धारा 59 की उपधारा (7) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व		
16	विनियम 38(2)	परिसमापक द्वारा बोर्ड और कंपनी रजिस्ट्रार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना	टी+90*/270		

17	धारा 59(7), विनियम 38(3)	विघटन के लिए आवेदन के साथ अंतिम रिपोर्ट का न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना	टी+90*/270		
18	विनियम 37(1)	स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का पूरा किया जाना	टी+90*/270		
19	विनियम 37(2)	अंशदाताओं की बैठक और वार्षिक स्थिति रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना	टी+365		

टी= समापन प्रारंभ होने की तारीख

\*= वहां लागू होता है जहां धारा 59(3) या विनियम 3(1) के अधीन लेनदारों का अनुमोदन अपेक्षित नहीं था

7. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों के लिए गए विचलन/अननुपालन निम्नलिखित हैं (यदि कोई विचलन/अननुपालन पाया गया था तो कृपया उसके ब्यौरे और उसके लिए कारणों का कथन करें):

क्रम सं.	पाया गया विचलन/अननुपालन	संहिता की धारा/विनियम सं./परिपत्र सं.	कारण	क्या सुधार किया गया अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

8. संव्यवहारों के परिवर्जन की बाबत फाइल किए गए/लंबित आवेदन(आवेदनों) के ब्यौरे:

क्रम सं.	संव्यवहार का प्रकार	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने की तारीख	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की तारीख	आदेश का संक्षिप्त विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धारा 43 के अधीन अधिमानि संव्यवहार			

2	धारा 45 के अधीन न्यून-मूल्यांकित संव्यवहार			
3	धारा 50 के अधीन अतिशय क्रेडिट संव्यवहार			
4	धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण संव्यवहार			

9. यदि प्रक्रिया को पूरा होने में, यथास्थिति 90/270 से अधिक समय लगा है तो कृपया उसके लिए कारण दें ।

10. कारपोरेट व्यक्ति से संबंधित ऐसे समस्त अननुमोचित मामलों के संबंध में, यदि कोई हैं, जो किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हैं, उस व्यवस्था के ब्यौरों सहित, जो ऐसी लंबित मुकदमेबाजी से उद्भूत होने वाली बाध्यताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए की गई है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को रिपोर्ट कर दी गई है ।

11. विनियम 8 और विनियम 10 में निर्दिष्ट अभिलेखों को, जैसा विनियम 41 के अधीन आदिष्ट है, परिरक्षित रखा जाएगा ।

12. ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो परिसमापक प्रस्तुत करना चाहे ।

13. मैं.....(परिसमापक का नाम) यह प्रमाणित करता हूं कि इस प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उससे कोई भी तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है ।

(हस्ताक्षर)

परिसमापक का नाम

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.:

बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत पता:

बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.:

तारीख:.....

स्थान.....]

<sup>21</sup>[प्ररूप-झ]

**कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से निकासी**

**[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया)**

**विनियमन, 2017 के विनियम 39(7) के अधीन]**

<sup>21</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.081, दिनांकित 05-04-2022 द्वारा प्रतिस्थापित ।

क्रम सं.	विवरण	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	कारपोरेट ऋणी का पहचान संख्यांक (सी.आई.एन./एल.एल.पी.आई.एन.)	
3	स्वैच्छिक समापन प्रारंभ होने की तारीख	
4	विघटन आदेश की तारीख	
5	कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में जमा करने की तारीख	
6	निकासी की ईप्सा करने वाले हितधारक का नाम	
7	हितधारक का पहचान संख्यांक क. पैन ख. सी.आई.एन./ एल.एल.पी.आई.एन./ डी.आई.एन. ग. आधार सं.	
8	हितधारक का पता और ईमेल पता	
9	परिसमापक द्वारा स्वीकृत हितधारक के दावे की रकम	
10	परिसमापक द्वारा कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में हितधारक के नाम में जमा की गई अदावाकृत लाभांश/अवितरित आगम की रकम	
11	अदावाकृत लाभांश/अवितरित आगम की वह रकम रकम जिसे हितधारक द्वारा कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से निकालने की ईप्सा की गई है	
12	बैंक खाता, जिसमें कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से रकम अंतरित की जानी है, यदि निकासी का अनुमोदन किया जाता है क. खाता सं.: ख. बैंक का नाम : ग. आई.एफ.एस.सी. : घ. एम.आई.सी.आर.: ड. बैंक की शाखा का पता:	
13.	स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के दौरान लाभांश या आगम न लेने के कारण	
14.	निकासी के लिए आवेदन करने में कोई विधिक	

अशक्तता?(हां/नहीं) यदि हां, तो ब्यौरा दें ।	
---	--

### घोषणा

मैं (हितधारक का नाम) वर्तमान पता....(पता अंतःस्थापित करें) यह घोषणा और कथन करता हूं:

1. मैं, कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में से, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, .....रुपए (..... रुपए केवल) की राशि प्राप्त करने का हकदार हूं ।
2. उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत, न तो मैंने और न ही मेरी जानकारी या विश्वास के अनुसार मेरे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे उपयोग के लिए, निम्नलिखित के सिवाय, किसी रीति में कुछ भी तुष्टिकरण या प्रतिभूति प्राप्त की है:.....
3. यदि बोर्ड यह पाता है कि मैं यह रकम प्राप्त करने का हकदार नहीं हूं तो मैं बोर्ड द्वारा यथा-विनिश्चित संपूर्ण रकम ब्याज सहित लौटाने का वचन देता हूं ।
4. यदि मेरा दावा किसी भी समय मिथ्या पाया जाता है तो मैं बोर्ड को समुचित विधिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

तारीख:

स्थान:

(हितधारक के हस्ताक्षर)

### सत्यापन

मैं (नाम) इसके ऊपर हितधारक, यह सत्यापित करता हूं कि इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक है तथा इसमें किसी भी तात्त्विक तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

.....20.. को सत्यापित ।

(हितधारक के हस्ताक्षर)

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव/ डेजीगनेटेड पार्टनर द्वारा और अन्य इकाइयों की दशा में, इकाई द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा]”।

## अनुसूची II

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 10 के अधीन)

इस अनुसूची में निहित प्ररूप उदाहरणात्मक प्रकृति के हैं और परिसमापक, समापन के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैसा उचित समझे संशोधन कर सकता है।

### नकदी रजिस्टर

कारपोरेट व्यक्ति का नाम \_\_\_\_\_ (समापनाधीन)

तारीख	विवरण	लेखा रजिस्टर संख्या	प्राप्तियां				भुगतान				बकाया		
			वाउचर संख्या	नकद	बैंक	कुल	वाउचर संख्या	नकद	बैंक	कुल	नकद	बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14

कॉलम 'विवरण' के अधीन लेखा शीर्ष लिखें जिससे प्रविष्टि संबंधित है ताकि प्रविष्टि साधारण खाते में उचित शीर्ष के अधीन की जा सके।

### साधारण लेखा रजिस्टर

कारपोरेट व्यक्ति का नाम \_\_\_\_\_ (समापनाधीन)  
\_\_\_\_\_ (लेखा शीर्ष)

तारीख	विवरण	नामे (रुपए)	जमा (रुपए)	बकाया (रुपए)
-------	-------	-------------	------------	--------------

1	2	3	4	5
1				
2				

निर्देश:

1. साधारण लेखा रजिस्टर में ऐसे लेखा शीर्ष रखे जाएंगे जैसा कि परिसमापक आवश्यक और उपयुक्त समझे। निम्नलिखित लेखा शीर्ष उपयुक्त समझे जा सकते हैं:

- (1) आस्ति लेखा
- (2) निवेश लेखा
- (3) नकद ऋण और बकाया लेखा
- (4) मांगें
- (5) वसूला गया किराया/प्राप्त करने योग्य किराया
- (6) प्रतिभूतियों और जमाराशि पर हित
- (7) प्राप्त अग्रिम
- (8) विविध प्राप्त भुगतान
- (9) स्थापना
- (10) कानूनी प्रभार
- (11) देय किराया, दरें और कर
- (12) फीस और कमीशन लेखा
- (13) अन्य व्यय
- (14) उचित लेखा
- (15) प्रतिभूत लेनदार



(16) लाभान्श लेखा

2. साधारण लेखा रजिस्टर में प्रविष्टियां नकदी रजिस्टर से की जाएंगी।
3. साधारण लेखा रजिस्टर में कुछ लेखा शीर्षों के जमा बकाया और नामे बकाया का योग नगदी रजिस्टर में दर्शाए गए नकद और बैंक बकाया को ध्यान में रखने के बाद उसके अनुरूप होना चाहिए।

### बैंक लेखा रजिस्टर

कारपोरेट व्यक्ति (स्वैच्छिक समापनाधीन) का अनुसूचित बैंक में लेखा

तारीख	विवरण	जमा राशि		आहरित राशि		बकाया
		चालान संख्या	रुपए	चैक संख्या	रुपए	रुपए
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

### आस्तियों का रजिस्टर

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	कब्जा लेने की तारीख	बिक्री रजिस्टर का क्रम संख्या	बिक्री की तारीख	प्राप्त करने की तारीख	राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

निर्देश:

1. परिसमापक का प्रतिभूतियों में निवेश और प्राप्त की जाने वाली बकाया राशि को छोड़कर कारपोरेट व्यक्ति की सभी आस्तियों की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।

### प्रतिभूति एवं निवेश रजिस्टर

क्र.सं.	याचिका संख्या और कारपोरेट व्यक्ति का नाम	निवेश की तारीख	प्रतिभूति का प्रकार और विवरण जिसमें निवेश किया जा रहा है	निवेश की गई राशि (रुपए)	प्राप्त लाभांश या हित और तारीख (रुपए)	निपटान की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

### लेखा ऋण और बकाया राशि का रजिस्टर

क्र.सं.	ऋणी का नाम और पता	ऋण का विवरण	देय राशि (रुपए)	प्रतिबंध द्वारा रोकने की तारीख (रुपए)	प्राप्त राशि (रुपए)	की गई कार्रवाई	प्राप्ति की तारीख	सूइट रजिस्टर में संदर्भ	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									

निर्देश:

- समापन से पहले की गई की देय बकाया राशि सहित कारपोरेट व्यक्ति के सभी ऋण, प्रतिभूत और अप्रतिभूत दोनों की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।

## किराया रजिस्टर

1. आस्तियों का विवरण:
2. किराएदार का नाम और पता:
3. किराएदारी की तारीख:
4. किराएदारी की अवधि:
5. किराया (मासिक या वार्षिक):
6. विशेष शर्तें, यदि हों:
7. आस्तियों का प्रभार लेने की तारीख को बकाया राशि:
8. प्राप्त अग्रिम, यदि हो:

माह	मांग	प्राप्ति		बकाया	टिप्पणियां
	राशि (रुपए)	तारीख	राशि (रुपए)	राशि (रुपए)	
1	2	3	4	5	6
जनवरी					
फरवरी					

### सूइट रजिस्टर

क्र. सं.	सूइट या अपील की संख्या और न्यायालय	वादी /अपील लकर्ता और उसके अधिवक्ता का नाम और पता	बचाव पक्ष/प्रतिवादी और उसके अधिवक्ता का नाम और पता	दावे की राशि	दायर करने की तारीख	सुनवाई की तारीख	डिक्री या अंतिम आदेश की तारीख	प्रदान की गई छूट की प्रकृति	डिक्री की गई राशि	डिक्री की लागत	डिक्री रजिस्टर में संदर्भ	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												

निर्देश:

- कारपोरेट व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए आवेदनों जो सूइट के रूप में हो; की प्रविष्टि भी इस रजिस्टर में की जाएगी।

### डिक्री रजिस्टर

सूइट या अपील की संख्या और न्यायालय	निर्णय ऋणी का नाम और पता	डिक्री की गई राशि (रुपए)	डिक्री की तारीख	की गई कार्रवाई	प्राप्त राशि (रुपए)	प्राप्ति की तारीख	सूइट रजिस्टर में संदर्भ
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	----------------	---------------------	-------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

निर्देश:

1. इस रजिस्टर का उद्देश्य परिसमापक को उसके प्रभाराधीन कारपोरेट व्यक्ति के पक्ष में डिक्री की प्राप्तियों की प्रगति पर निगरानी रखने में मदद करना है।
2. कारपोरेट व्यक्ति के पक्ष में प्रत्येक डिक्री या धनराशि के भुगतान का आदेश या आस्तियों की सुपुर्दगी जिसमें लागत, चाहे, सुइट, अपील या आवेदन किया गया हो, के भुगतान का आदेश भी शामिल है, की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।

### दावों और विपरित राशि का रजिस्टर

दावे						घोषित और भुगतान की गई राशि									टिप्पणियां
क्र. सं.	लेनदार का नाम और पता	दावा की गई राशि (रुपए)	दावे प्रकार	स्वीकृति राशि (रुपए)	साधारण है या अधिमान	तारीख	राशि (रुपए)	भुगतान की तारीख और तरीका	दर	राशि (रुपए)	भुगतान की तारीख और तरीका	दर	राशि (रुपए)	भुगतान की तारीख और तरीका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.															
2.															

निर्देश:

1. केवल पूर्णतया या आंशिक रूप से स्वीकृत दावों की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।
2. पृष्ठ की बायीं ओर दावों के लिए और पृष्ठ की दायीं ओर वितरित राशि के लिए आरक्षित रखी जाएगी।

### अंशदाता लेखा रजिस्टर

क्र.सं.	अंशदाता का नाम और पता	धारित शेयरों की हित की संख्या या हित की मात्रा और उसके लिए भुगता न की जाने वाली राशि	कॉल			टिप्प णियां	शेयरपूंजी लौटाना			टिप्प णियां
			प्रथम कॉल		द्विती य कॉल/ तृतीय कॉल		वाप सी की तारी ख	भुग तान की तारी ख	भुग तान की गई राशि (रुप ए)	
			कॉल की तारी ख और मांगी गई राशि	प्रथम कॉल की तरह कॉल म दोहरा ए जाएं						
1	2	3	4	5	6 से 9	10	11	12	13	14
1.										
2.										

निर्देश: सूची में से केवल निपटान किए गए अंशदाताओं की प्रविष्टियां इस रजिस्टर में की जाएंगी और इन्हें सूची में दिए गए क्रम में लिखा जाएगा।

## वितरित राशि का रजिस्टर

वितरण करने की तारीख:

वितरण के इस दौर में देय कुल राशि

तारीख	पक्षकारों की सूची में संख्या	विवरण	प्राप्तियां	भुगतान
1	2	3	4	5
1.				
2.				

निर्देश:

1. अधिमान और साधारण वितरण के लिए अलग-अलग पृष्ठ रखे जाएंगे।
2. जैसे ही भुगतान किया जाए, उसकी प्रविष्टि की जाएगी। कोई राशि जो अप्रदत्त लौटायी जाती है, कि 'प्राप्तियां' के अधीन इस लेखा में पुनः प्रविष्टि की जाएगी।
3. कॉलम 2 में संख्या पक्षकारों की सूची में अंतिम रूप से निपटान की गई पक्षकारों की संख्या के अनुरूप होनी चाहिए।
4. <sup>22</sup>[कारपोरेट स्वैच्छिक समापन खाते में देय अदावाकृत वितरण की कुल राशि और बैंक में भुगतान की गई राशि को भुगतान की तारीख के साथ इस खाते के अंत में दर्शाया जाएगा।

## फीस रजिस्टर

प्राप्त राशि	वितरित राशि	पूर्ववर्ती दो कॉलम में दी	कुल देय फीस	भुगतान
--------------	-------------	---------------------------	-------------	--------

<sup>22</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.054, दिनांकित 15-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।



जिस पर फीस देय है	जिस पर फीस देय है	गई राशि जिस पर फीस देय है		की तारीख
1	2	3	4	5
1				
2				

निर्देश:

1. प्रत्येक वर्ष नया रजिस्टर खोला जाएगा।
2. परिसमापक को देय फीस की प्रविष्टि इस रजिस्टर में एक-तिमाही के लेखों की लेखापरीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद की जाएगी।

### उचित रजिस्टर

तारीख	विवरण	नामे (रुपए)	जमा (रुपए)	बकाया (रुपए)
1	2	3	4	5
1				
2				

निर्देश:

1. परिसमापक द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई अग्रिम राशि की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।
2. प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग रजिस्टर खोला जाएगा।

### दस्तावेज रजिस्टर

क्र.सं.	दस्तावेज	प्राप्ति की	किससे	सेल्फ की	कैसे	टिप्पणियां
---------	----------	-------------	-------	----------	------	------------

	का विवरण	तारीख	प्राप्त हुआ	संदर्भ संख्या जहां दस्तावेज रखा गया है	निपटान किया गया	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

निर्देश: स्वामित्व विलेख, शेयर, वचन-पत्र आदि जैसे सभी स्वामित्व दस्तावेजों की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।

### लेखा रजिस्टर

तारीख	किससे प्राप्त हुआ	क्रम संख्या	फाइलों सहित खातों का विवरण	सेल्फ संख्या	कैसे निपटान किया गया	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

निर्देश: कारपोरेट व्यक्ति के सभी खाते और फाइलें जो परिसमापक के हाथ में होंगे, की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जाएगी।

### अदावाकृत लाभांश और जमा की गई अवितरित <sup>23</sup>[आगमों] का रजिस्टर

क्र.सं.	लाभांश या लाभ प्राप्त	लेनदार है या	पक्षकारों की सूची में	लाभांश या लाभ की	लाभांश या लाभ की	कुल देय राशि
---------	-----------------------	--------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------

<sup>23</sup> अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.054, दिनांकित 15-01-2020 द्वारा प्रतिस्थापित ।

	करने के अधिकारी व्यक्ति का नाम	अंशदाता	संख्या	घोषणा करने की तारीख	दर	(रुपए)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

डा. एम. एस. साहू  
अध्यक्ष  
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड